तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/1179/2002/टोंक सरकार बनाम दुर्गा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 26–12–2018

हस्तगत रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 22–01–2002 के द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि धारक इन्द्रसालसिंह पुत्र अडीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी आमली की खातेदारी की भूमि कुल किता 329 रकबा 794 बीघा 17 बिस्वा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 16–01–1970 द्वारा अधिग्रहित की गई। यह भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 06–04–1972 द्वारा राजहित में राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की गई। किन्तु अधिग्रहित भूमि में से 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि तत्कालीन तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत श्री रूपा पुत्र भैंरू माली निवासी आमली की खातेदारी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 17–02–1973 दर्ज हो गई तथा जमाबंदी सम्वत 2052–2055 खाता संख्या 37 के अनुसार विरासत में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी में दर्ज है, जिसके हाल खसरा संख्या 344 रकबा 0–13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/1179/2002/टोंक सरकार बनाम दुर्गा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हैक्टर, 345 रकबा 0–03 हैक्टर, 346 रकबा 1–27 हैक्टर, 346 रकबा 0–55 हैक्टर है। चूँकि भूमि सीलिंग अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत ही होना चाहिए। तहसीलदार द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत दी गई खातेदारी अनियमित एवं अवैध है। अतः नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 17–02–1973 निरस्त किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार कर विवादित आराजी के क्रम में स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया है।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अभिभाषक की रेफरेंस के संबंध में विस्तृत बहस सुनी।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तत्कालीन तहसीलदार ने अधिग्रहित की गयी भूमि में से आंशिक रकबे को विपक्षीगण के हक में खातेदारी प्रदान कर त्रुटिकारित की है। इस कारण विपक्षीगण के पक्ष में खातेदारी अवैध होने के कारण आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त किया जाए। जबकि विवादित आराजी सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की जाकर सिवायचक घोषित की गई है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के क्रम में स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया।

हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेंस पत्रावली का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट होता है कि भूमि धारक इन्द्रसालसिंह पुत्र अडीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी आमली की खातेदारी की भूमि कुल किता 329 रकबा 794 बीघा 17 बिस्वा सीलिंग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/1179/2002/टोंक सरकार बनाम दुर्गा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 16–01–1970 द्वारा अधिग्रहित की गई। यह भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 06–04–1972 द्वारा राजहित में राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की गई। किन्तु अधिग्रहित भूमि में से 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि तत्कालीन तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत श्री रूपा पुत्र भैंरू माली निवासी आमली की खातेदारी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 17–02–1973 दर्ज हो गई तथा जमाबंदी सम्वत 2052–2055 खाता संख्या 37 के अनुसार विरासत में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी में दर्ज है, जिसके हाल खसरा संख्या 344 रकबा 0–13 हैक्टर, 345 रकबा 0–03 हैक्टर, 346 रकबा 1–27 हैक्टर, 346 रकबा 0–55 हैक्टर है। चूँकि भूमि सीलिंग अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत ही होना चाहिए। तहसीलदार द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत दी गई खातेदारी अनियमित एवं अवैध है। अतः हमारी विनम्र राय में आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 17–02–1973 विधि के प्रावधानों के विपरीत स्वीकार किए जाने के कारण उसे निरस्त किया जाना समीचीन है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आमली तहसील उनियारा स्थित विवादित आराजी के क्रम में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 17–02–1973 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/1179/2002/टोंक सरकार बनाम दुर्गा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए